न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 34 / 2018 जिला सीकर

1. हंसराज पुत्र भूरा
2. भागीरथ पि.मु.कालू
   समस्त जाति धोबी, निवासी ग्रम चक (गोपीनाथपुरा) तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर ।

कन्टस्टेड रेस्पोंडेन्ट

2. प्रभाती पुत्री घीसा लाल
3. शांति पुत्री घीसा लाल
   समस्त जाति धोबी, निवासी ग्रम चक (गोपीनाथपुरा) तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर ।

फोरमल रेस्पोंडेन्ट्स

4. ग्रम पंचायत चक , तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर जरिये सरपंच / सचिव ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खड अधिकारी दांतारामगढ, जिला सीकर
दिनांक 12.1.2018

उपस्थित–

3. वकील अपीलान्ट श्री विवेक पारीक
4. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री श्याम बाबू पारीक

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जयपुर

निर्णय

दिनांक –18.9.2018

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 12.1.2018 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा बजट घोषणा 2015–16 के परिपेक्ष्य में राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राज. जयपुर के परिपत्र क्रमांक: प.3(2)राज–6 / 2003 / पार्ट / जयपुर दिनांक 10.8.2016 एवं जिला कलक्टर सीकर के पत्र क्रमांकः राजस्व / 16 / 2619–44 दिनांक 16.8.2016 एवं राजस्व / 2016 / 4328–43 दिनांक 21.11.2016 की पालना में तहसीलदार दांतारामगढ, जिला सीकर द्वारा आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेश के उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ को भेजने पर उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ ने आदेश दिनांक 12.1.2018 पारित कर राजस्थान भू राजस्व अधिनिम की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1957 के नियम 58,59,60 व 86 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार दांतारामगढ द्वारा प्रस्तावित निम्न खसरा नम्बरान की भूमि में से गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये –

क्र.सं.	नाम पटवार मंडल	राजस्व ग्रम.	खसरा नं.	किस्म भूमि	रास्ते के लिये प्रस्तावित रकबा (है.मे)
1.	चक	चक	885 886 892 771 772	चही चही बरानी चही चाही	0.0480 0.0180 0.0660 0.1032 0.1860

उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ के उक्त निर्णय दिनांक 12.1.2018 से व्यथित होकर अपीलाट्न्स हंसराज व भागीरथ द्वारा यह अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 25.6.2018 को प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय मुताबिक खसरा नम्बर 772 रकबा 4.25 हैक्टेयर में से 1860 मीटर ग्रम चक तहसील दांतारामगढ निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट्स आराजी खसरा नम्बर 772 रकबा 4.25 हैक्टेयर का रेकार्डेड खातेदार काश्तकार है, जिसे बिना नोटिस दिये व बिना सुने उसकी खातेदारी आराजी में से गैर मुमकीन रास्ता कायम करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने से निरस्तनीय है । उनका कहना था कि अपीलान्ट्स की खातेदारी भूमि में से पूर्व में कोई रास्ता चालू नहीं था ओर न ही वर्तमान में कोई रास्ता चालू है । अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौका देखे व वास्तविक स्थिति का जायजा लिये बिना ही आनन फानन में गैर मुमकीन रास्ता कायम किया है, जो विधिक नहीं है । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर न देकर अपीलान्ट संख्या 2 भागीरथ की जगह दीगर भागीरथ पुत्र बेनाराम जाट की अंगूठा निशानी लगवाकर अपीलान्ट संख्या 2 की फर्जकारी से सहमति दर्ज कर अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी त्रुटी की है । विरोधी पक्ष के लोग मौके पर विवादित आराजी को रास्ते के उपयोग में लेने लगे तो अपीलान्ट द्वारा विरोध करने पर अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई ओर उसकी नकल प्राप्त कर अपील मय धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है । उनका यह भी कहना था कि अपीलान्ट के खसरा नम्बर 772 की एवज में अपीलान्ट की खातेदारी भूमि के खसरा नम्बर 770 में से गैर मुमकीन रास्ता कायम किया जाता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है । इस बाबत अपीलान्ट संख्या 2 भागीरथ द्वारा जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र भी इस न्यायालय में बहस के दौरान प्रस्तुत किया है । उनका यह भी कहना था कि खसरा नम्बर 772 की भूमि में बीच में से गैर मुमकीन रास्ता कायम किये जाने से अपीलान्ट की भूमि खसरा नम्बर 772 के दो टुकडे हो गये हैं जिससे उन्हें काश्त करने में भी परेशानी होगी । अतः प्रकरण के गुणावगुण एवं न्याय हित में विलम्ब को क्षमा कर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावे तथा अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट्स की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 772 रकबा 4.25 हैक्टेयर की हद तक निरस्त किया जावे तथा संलग्न नक्शे में आराजी खसरा नम्बर 772 में सी. से डी.मार्क

की जगह खसरा नम्बर 770 में मार्क ए. से. बी. को गैर मुमकीन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जावें ।

रेस्पोंडेन्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि में आम रास्ता है जो आस पास के खातेदारान के उपयोग उपभोग में आ रहा है तथा इससे सभी खातेदारान सहमत रहे हैं । खसरा नम्बर 774 ग्रम चक से नोसाल जाता है व ग्रेवल सडक है । रास्ता खसरा नम्बर 168, 669, 885, 886, 892 में होता हुआ राजपुरा जाता है । उक्त भूमि में से रास्ते के लिये ग्रेवल सडक बनाने हेतु राज्य सरकार से राशि स्वीकृत हो चुके है । कायम किया गया गैर मुमकीन रास्ता आम जन की सुविधा के लिये है जिसमें ग्रम पंचायत के निवासी आते जाते हैं । उनका कहना था कि मौके पर विवादित भूमि में से रास्ता चालू था, लेकिन राजस्व अभिलेख में रास्ते का अंकन नहीं था । उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ ने तहसीलदार दांतारामगढ के प्रस्ताव पर सभी काश्तकारों की सहमति से खातेदारी भूमि में से गैर मुमकीन रास्ता कायम करने के अपीलाधीन आदेश पारित किये हैं, जो जनहित में होने से उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में विवाद अपीलान्ट्स की खातेदारी भूमि 772 रकबा 4.25 हैक्टेयर में से उन्हें बिना सुने व बिना नोटिस दिये अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश द्वारा गैर मुमकीन रास्ता कायम करने के संबंध में है । अपीलान्ट का मुख्य कथन कि उसकी आराजी खसरा नम्बर 772 रकबा 4.25 हैक्टेयर में से बिना नोटिस दिये व बिना सुने गैर मुमकीन रास्ता कायम करने बाबत अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर न देकर अपीलान्ट संख्या 2 भागीरथ की जगह दीगर भागीरथ पुत्र बेनाराम जाट की अंगूठा निशानी लगवाकर अपीलान्ट संख्या 2 की फर्जकारी से सहमति दर्ज कर अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी त्रुटी की है । बहस के दौरान प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलान्ट की भूमि खसरा नम्बर 772 की एवज में अपीलान्ट की खातेदारी भूमि के खसरा नम्बर 770 में से गैर मुमकीन रास्ता कायम किये जाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होना अंकित किया है । रेस्पोंडेन्ट का मुख्य कथन कि "कायम किया गया गैर मुमकीन रास्ता आम जन की सुविधा के लिये है जिसमें ग्रम पंचायत के निवासी आते जाते हैं । उनका कहना था कि मौके पर विवादित भूमि में से रास्ता चालू था, लेकिन राजस्व अभिलेख में रास्ते का अंकन नहीं था । उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ ने तहसीलदार दांतारामगढ के प्रस्ताव पर सभी काश्तकारों की सहमति से खातेदारी भूमि में से गैर मुमकीन रास्ता कायम करने के अपीलाधीन आदेश पारित किये हैं, जो जनहित में होने से उचित एवं विधिसम्यक है" । अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ, जिला सीकर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.1.2018 तहसीलदार दांतारामगढ, जिला सीकर से आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेश के उन्हें प्राप्त होने पर पारित कर गैर मुमकीन रास्ता कायम किया गया है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि जमाबन्दी संवत 70 –73 ग्रम चक , तहसील दांतारामगढ के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 770 एवं 772 के खातेदार हंसराज पुत्र भूरा हिस्सा 1/3 व भागीरथ पि.मु. कालू हिस्सा 1/3 के खातेदार दर्ज है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट्स को बिना नोटिस दिये व बिना सुने तहसीलदार की अभिशंषा के आधार पर अपीलान्ट की खातेदारी भूमि खसरा नबर 772 रकबा

0.1860 हैक्टेयर में से गैरमुमकीन रास्ता कायम करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया है । विधि का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि किसी भी प्रभावित/ हितबद्ध व्यक्ति के हितों के विपरीत आदेश पारित करने से पूर्व उन्हे सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायिक रूप से आवश्यक है । अपीलान्ट संख्या 2 द्वारा जरिये अधिवक्ता बहस के दौरान प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलान्ट की भूमि खसरा नम्बर 772 की एवज में अपीलान्ट की खातेदारी भूमि के खसरा नम्बर 770 में से गैर मुमकीन रास्ता कायम किये जाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होना अंकित किया है । अतः प्रकरण के तथ्यों , गुणावगुण एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये न्यायहित में अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र दिनांक 29.8.18 में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का मौहताज है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ, जिला सीकर दिनांक 12.1.2018 अपीलान्ट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 772 की हद तक निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ को उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर एवं अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र दिनांक 29.8.18 में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य मे पुनः निर्णय करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक को 18.9.2018 को सुनाया गया ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर